

कार्यालय निदेशक सिकन्दरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़  
दिनांक चण्डीगढ़ 29.9.99

आपका अतिरिक्त स्कूल फरमाना (रोहतक) को विनालय में दाखिल छात्रों के हिसाब में वर्ष 1999-2000 के लिए दसवीं स्तर की स्थायी बार अस्थाई मान्यता इस वार्त पर प्रदान की जाती है कि विनालय दिनांक 31-8-2000 से पूर्व आठवीं स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त करेंगे अन्यथा विभाग द्वारा प्रदान की गई यह मान्यता रद्द समी जायेगी। तथा निर्देशा दिये जाते हैं कि विनालय आगामी वर्ष 2000-2001 के लिए छात्र दाखिल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि दसवीं की स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं करेंगे।

सुरेशा मित्तल  
संयुक्त निदेशक विनालय  
कार्यालय निदेशक सिकन्दरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठोक्त क्रमांक सम दिनांक 30-9-99  
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक को उनके पादोक्रमांक के संदर्भ में।  
दिनांक \_\_\_\_\_
2. सचिव, हरियाणा विनालय शिक्षा जोड़ भिवानी।
3.  मुख्याध्यापक अतिरिक्त निडल स्कूल फरमाना (रोहतक)  
सहायक निदेशक विनालय।  
कोटे निदेशक सिकन्दरी शिक्षा हरियाणा  
RL

प्र. बाड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा, भिवानी।